न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0:–56/2015

उनवान

1. अतुल कुमार सैनी पुत्र श्री मांग्या जाति माली निवासी पटायरी की डूंगरी, चुन्नीलाल की कोठी तन कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. मु0 लक्ष्मी बेवा हरसहाय,
2. भगवान सहाय पुत्र स्व0 हरसहाय,
3. ख्यालीराम पुत्र स्व0 हरसहाय,
4. बत्तो पुत्री स्व0 हरसहाय जाति माली निवासी पटायरी की डूंगरी, चुन्नीलाल की कोठी तन कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....असल रेस्पोडेन्ट

5. छुट्टन पुत्र स्व0 घीस्या,
6. बबलू पुत्र स्व0 मांग्या,
7. पिन्टू पुत्र स्व0 मांग्या,
8. मुकेश पुत्र स्व0 मांग्या जाति माली निवासी पटायरी की डूंगरी, चुन्नीलाल की कोठी तन कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
9. सब रजिस्ट्रार राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
10. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ लैण्ड होल्डर तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री अजीत कुमार यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री ऋषभदेव जैमन अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तकसीम आराजी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 1355/0.33, 1397/0.38, 1398/0.01, 1399/0.02 कुल किता 4 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ़ में स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है । अब आराजी के कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान में विवाद रहता है । इसलिए आराजी का मुताबिक हिस्सा हाल रेकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण लोक अदालत / कैम्प कोर्ट अलेई में बहस सुनकर दिनांक 26.06.2015 को वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दि0 26.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कहना है कि तहत न्यायालय द्धारा प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पूर्व दावा के तथ्यों के आधार पर तनकीयात निर्मित नहीं की और बिना तनकीयात निर्मित किये उनका निस्तारण किये बिना ही निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को जवाब दावा, साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर भी नहीं दिया और जल्दी–जल्दी तारीख नियत कर बिना विधिक प्रकिया के प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । तहत न्यायालय ने अपीलांट व तर0 रेस्पो0 की अनुपस्थिति में बिना कोई सूचना दिये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जबकि तहत अदालत में विभाजन आराजी का नियमित वाद विचाराधीन था । अपीलाधीन निर्णय में वर्णित विवादित आराजी के संबंध में एक अन्य राजस्व वाद बउनवान हाबू बनाम लक्ष्मीदेवी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट तहत न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें स्थगन जारी किया हुआ है । वादीगण/असल रेस्पो0 का विवादित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है । उनके हक में 1/3 हिस्से की डिक्री पारित की है जबकि उनका 1/7 हिस्सा बनता है । रेस्पो0/वादी के विरूद्ध घोषणा का अन्य वाद पेश कर रखा है । अतः जब तक वह घोषणा का वाद निर्णित नहीं हो जाता है तब तक यह प्रारम्भिक डिक्री कानून सम्मत नहीं है । वादीगण असल रेस्पो0 भूमिधारी तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर से मिली भगत करके कुरेजात रिपोर्ट तैयार कराकर विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । इसलिए तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री खिलाफ तथ्य कानून मौका प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं विभाजन नियमों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए और मौखिक बहस में कथन किया है कि तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कराया और कहा कि

हमने तहत न्यायालय में विभाजन का वाद पेश किया जिसमें तहत न्यायालय ने हमारा वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया । अपील में अन्य वाद हाबू बनाम लक्ष्मी में आदेशिका दि0 28.1.2011 का अवलोकन कराया जिसमें 6 खसरा नम्बर है जिनमें घोषणा चाही है । इसमें उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर ख0 नं0 1396 व 1400 शामिल नहीं है । मेरे वाद में ख0 नं0 1355, 1397, 1398, 1399 है । तहत न्यायालय की आदेशिका दि0 28.01.2011 में रहन, बय नहीं करने का उल्लेख किया हुआ है । हम विवादित आराजी बय नहीं करेगें । असल रेस्पो0 विधवा है, 30 साल से केस लड़ रही है । आराजी में हम तकासमा चाहते हैं । यद्यपि मेरा बहस में यह कहना कि बहिन जो 1961 में गुजर गयी है, से घोषणा का दावा करवाया है, जो चलने योग्य नहीं है । यह विवादित आराजी रिसीवरी में 1995 से है । दावा निर्णित हो चुका है पर अभी भी जमीन रिसीवरी में है । मेरा प्रार्थना पत्र ही निर्णित नहीं हो रहा है जबकि मेरा दावा तकासमा का था । मात्र परेशान करने के लिए यह अपील अपीलांट ने पेश की है । तहत न्यायालय ने विधिक निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील मय हर्जा खर्चा खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2014 पेज 236, आर.आर.टी. 2011 पेज 640 पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 का अवलोकन किया । साथ ही प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

न्यायालय के मत में उक्त विवेचन उपरान्त यह मत है कि जब विवादित आराजी ख0 नं0 1397, 1398, 1399 के संबंध में जिसके सह खातेदार वादी/रेस्पो0 लक्ष्मी है, के विरूद्ध घोषणा का दावा पेश कर रखा है और ख0 नं0 1397, 1398, 1399 के संबंध में भी वाद में गुणावगुण पर निर्णय करके घोषणा संबंधी वाद का निस्तारण करना है जिससे कि खातेदारी प्राप्त भी हो सकती है या नहीं । हिस्से कम ज्यादा भी हो सकते हैं या नहीं । तो ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक डिक्री कानून सम्मत नहीं है । अतः इस विभाजन के वाद को भी घोषणा के वाद के साथ कन्सोलिडेट करके निर्णित किया जाना कानून सम्मत है । द्वितीय यह बिन्दू भी है कि यह कैम्प कोर्ट में पारित निर्णय है जिसमें पत्रावली स्वप्रेरणा से पेश होना बताया है जबकि न्याय के लिए यह भी आवश्यक था कि अपीलांट/प्रतिवादी को भी कैम्प में बुलाया जाता, उन्हें सुना जाता है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय काबिल खारिजी के है और अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहत न्यायालय दोनों प्रकरणों को एक साथ करके वे दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर तनकीयात कायम करते हुए शीघ्र गुणावगुण पर निर्णय पारित करें जिससे की पक्षकारों को समय पर न्याय प्राप्त हो सकें । उभयपक्ष तहत न्यायालय में दिनांक 28.08.2018 को पेश हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर